भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 1380

गुरूवार, 11 दिसम्बर, 2025/20 अग्रहायण, 1947 (शक)

महिला कार्यबल के लिए सुविधाओं को बढ़ावा देना

1380. श्रीमती रेखा शर्मा:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) महिला श्रम बल भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए सुविधाजनक कार्य प्रणाली संबंधी मानदंड**,** मातृत्व लाभ और बाल देखभाल सहायता जैसी क्या पहलें की गई हैं**;**

(ख) बढ़ी हुई मातृत्व अवकाश प्रावधानों से लाभान्वित महिलाओं की संख्या कितनी है**;** और

(ग) क्या सरकार अधिक उद्यमों को सुरक्षित और लैंगिक-अनुकूल कार्य पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने की योजना बना रही है**?**

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (ग): रोजगार सृजन के साथ-साथ नियोजनीयता में सुधार सरकार की प्राथमिकता है। सरकार महिला श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर) को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाएं कार्यान्वित कर रही है। सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों का विवरण https://dge.gov.in/dge/schemes_programmes पर देखा जा सकता है।

महिलाओं के रोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए, चार श्रम संहिताएं- वेतन संहिता, 2019, औद्योगिक संबंध संहिता, 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाएं संहिता, 2020 को 21 नवंबर 2025 से कार्यान्वित की गई है, जिसमें 29 पूर्ववर्ती श्रम कानूनों को युक्तिसंगत बनाया गया है।

इन श्रम संहिताओं में महिला श्रम बल भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रावधान हैं जैसे:-

(i) कार्यस्थल विवाद समाधान में महिलाओं की राय को शामिल करने के लिए शिकायत निवारण समिति में उनका आनुपातिक प्रतिनिधित्व।

(ii) 26 सप्ताह तक का सवैतनिक मातृत्व अवकाश, साथ ही दत्तक और कमीशनिंग माताओं के लिए 12 सप्ताह और मातृत्व अवकाश के बाद रिमोट कार्य की अनुमति देना जहां संभव हो।

(iii) समान या समान कार्य के लिए मजदूरी और रोजगार की शर्तों के मामले में लिंग आधारित भेदभाव का निषेध।

(iv) कामकाजी माताओं को काम और पारिवारिक जीवन के बीच संतुलन बनाने में मदद करने के लिए छह साल से कम उम्र के बच्चों के लिए शिशु गृह सुविधाओं को बढ़ावा देना।

इसके अलावा, व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाएं संहिता, 2020 ने महिलाओं को सभी तरह के कामों के लिए सभी संस्थानों में काम करने की इजाज़त दी है और उनकी सहमति से उन्हें सुबह 6 बजे से पहले और शाम 7 बजे के बाद भी काम पर रखा जा सकता है, बशर्ते सुरक्षा, छुट्टियों और काम के घंटों से जुड़ी शर्तों का पालन किया जाए। यह संहिता यह भी कहती है कि किसी भी खतरनाक या जोखिम भरे काम में महिलाओं को लगाने से पहले संस्थानों को पर्याप्त सुरक्षा उपाय करने होंगे।

मैटरनिटी लीव के प्रावधानों से फायदा पाने वाली महिलाओं की संख्या का रिकॉर्ड केंद्र सरकार के पास नहीं रखा जाता है।

कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म "SHe-Box पोर्टल" शुरू किया है, जिसमें 'कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013' (यौन उत्पीड़न अधिनियम) के विभिन्न प्रावधान शामिल हैं।

*****